कार्यालयः गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर।

पत्रांक 102 /मा0अनु0/गो0वि0प्रा0/2017-18 दिनांक 8 / 6 /2017

सेवा में,

मुख्य अग्नि शमन अधिकारी,
अग्नि शमन विभाग,
गोरखपुर।

विषयः-मानचित्र सं0-219/2013 पर अनापत्ति/आपत्ति उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि श्री अरूण चन्द पुत्र श्री मारकण्डे चन्द द्वारा मो0 रूस्तमपुर की आराजी संख्या-411, 466/1/4, 466/1/5, 13/2/2 पर पूर्व स्वीकृत मानचित्र संख्या-219/2013 जो समूह आवास हेतु अनुमन्य 2.5 एफ0ए0आर0 के अन्तर्गत स्वीकृत व स्थल पर निर्माणाधीन है, में क्रय-योग्य एफ0ए0आर0 क्रय किये जाने का अनुरोध किया गया था, जिसकी स्वीकृति उपाध्यक्ष महोदय के आदेश दिनांक 29-5-2017 द्वारा प्रदान कर दी गई है। उक्त के क्रम में आपके विभाग की अनापत्ति/आपत्ति की आवश्यकता है। प्रस्तुत संशोधित मानचित्र संख्या-219/2013 की तीन प्रति साथ में संलग्न है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त के सम्बन्ध में अपने विभाग की अनापत्ति/ आपत्ति अविलम्ब प्राधिकरण कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे कि तद्नुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

संलग्नकः-उपरोक्तानुसार।

सहायक अभियन्ता,
गोरखपुर विकास प्राधिकरण,
गोरखपुर।

पत्रांक एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः-श्री अरूण चन्द पुत्र श्री मारकण्डे चन्द, मो0-रूस्तमपुर, गोरखपुर को इस आशय से प्रेषित कि संबंधित विभाग से सम्पर्क कर उपरोक्तानुसार वॉछित अनापत्ति/ आपत्ति प्राप्त कर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सहायक अभियन्ता,
गोरखपुर विकास प्राधिकरण,
गोरखपुर।

कार्यालय उपनिदेशक, फायर सर्विस गोरखपुर परिक्षेत्र गोरखपुर।

पत्रांक–2017/31474/GKR/Gorakhpur/302/PD दिनांक–जून, 23, 2017

सेवा में,

सहायक अभियन्ता,
गोरखपुर विकास प्राधिकरण,
जनपद–गोरखपुर।

विषयः– प्लाट/अराजी नं0–4/1, 466/1/4, 466/1/5, 14/2, 13/2/2 रुस्तमपुर में ग्रुप हाउसिंग का मानचित्र संख्या–219/2013 जनपद–गोरखपुर में प्रस्तावित मैसर्स–श्री अरुण चन्द, द्वारा प्रस्तावित भवन की प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में:–

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक में आपके पत्र सं0–102/मा0अनु0/गो0वि0प्रा0/2017–18, दिनांक–08.06.2017 के माध्यम से उक्त प्रश्नगत प्रस्तावित भवन की प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त प्रश्नगत प्रस्तावित भवन के मानचित्रों में प्रस्तावित अग्निशमन व्यवस्थाओं एवं अभिलेखों का निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन अधिकारी गोरखपुर की आख्या दिनांक–21.06.2017 एवं मुख्य अग्निशमन अधिकारी गोरखपुर की परिशीलन आख्या दिनांक–22.06.2017 का सुसंगत मानकों के अनुसार परीशीलन किया गया, जिसका विवरण निम्नवत है:–

भवन की संरचना

1–कुल भूखण्ड एरिया–2631.21 वर्ग मीटर

1–प्रस्तावित निर्मित भूतल कवर्ड एरिया–884.10 वर्ग मीटर

2–प्रथम तल से उपरी तलों का टिपिकल कवर्ड एरिया–8653.62 वर्ग मीटर(प्रत्येक तलवार विवरण

अ–प्रथम तल से आठवें तलों के प्रत्येक तल का आच्छादित एरिया–884.10 वर्गमीटर, नवें तल का आच्छादित एरिया–656.49 वर्गमीटर, दसवें तल का आच्छादित एरिया–527.87 वर्गमीटर, ग्यारहवें तल का आच्छादित एरिया–254.83 वर्गमीटर, बारहवें तल का आच्छादित एरिया–141.63 वर्गमीटर

नोट–प्रश्नगत भवन 8वें तल तक निर्मित है, तथा 9वें तल से 12वें तल का निर्माण कार्य प्रस्तावित है।

3–बेसमेन्ट प्रथम का कवर्ड एरिया–1578.00 वर्ग मीटर

4–स्टील्ट फ्लोर पार्किंग कवर्ड एरिया–884.10 वर्ग मीटर

5–भवन की उचॉई–37.23 मीटर है

भवन का अधिभोग एवं हैजार्ड श्रेणी:–प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन0बी0सी0 की श्रेणी–A4 के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

(आवासीय भवन होने पर उसमें प्रयुक्त मैटीरियल टाइप–प्रथम)

ढॉचागत व्यवस्था:–

1–पहुॅच मार्ग:–भूखण्ड के सामने मानचित्रों में–18.00 मीटर रोड की चौड़ाई है।

2–प्रवेश द्वार की चौड़ाई:–4.5 मीटर जो मानक के अनुसार है।

3–सैटबैक:–प्रस्तावित भवन का सैटबेक निम्नवत है:–चूंकि उपरोक्त भवन 8वें तल तक पूर्व में निर्मित है, तथा 9वें तल से 12वें तल का निर्माण प्रस्तावित है, जिसमें नियमानुसार(टावर लाइक स्ट्रैक्चर) सेटबैक प्राविधान किया गया है। अतः वर्तमान में उपलब्ध सेटबैक से अग्निसुरक्षा/जीवरक्षा का कार्य सम्पादित किया जा सकता है।

ए0–अग्रभाग–9.00 मीटर, बी0–पृष्ठभाग–9.00 मीटर,
सी0–पार्श्वभाग प्रथम–9.00 मीटर, डी0–पार्श्वभाग द्वितीय–9.00 मीटर

उपरोक्तानुसार भवन के सैटबेक भवन नियमावली के अनुसार सैटबेक सदैव अवरोधमुक्त रखे जायेगें। सैटबेक में किसी प्रकार का स्थायी/अस्थायी निर्माण कार्य मान्य नहीं होगा।

4–निकास मार्ग:–प्रस्तावित भवन में–02 स्टेयर जिनकी चौड़ाई 1.5 मीटर का प्राविधान किया गया **है**, जिनकी फ्लोर की समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है।

5–रिफयूज एरिया का **विवरण:**–एन0बी0सी0 के क्लाज–04.12.3 के नोटशीट के अनुसार वाछिंत है।

अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था:–नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया–2016 के अनुसार निम्नाकिंत अग्निशमन व्यवस्थायें पूर्ण की जानी अनिवार्य हैं:

1–भूमिगत टैंक:–प्रश्नगत भवन में एन0बी0सी0–2016 मानकों के अनुसार 75000 लीटर क्षमता का भूमिगत टैंक वाछिंत है।

2–पम्प:–अण्डर ग्राउन्ड टैंक के पास मेन पम्प 2280 एल0पी0एम0 क्षमता का विद्युत चालित पम्प, डीजल चालित पम्प 2280 एल0पी0एम0 क्षमता जौकी पम्प 180 एल0पी0एम0 क्षमता का वाछिंत है।

3–होजरील:–प्रस्तावित भवन में होजरील लैफ्टिंग आई0एस0–884 मानकों के अनुसार प्रत्येक तल पर वाछिंत है।

क्रमशः–2–पर

4—वेटराइजर:—प्रस्तावित भवन में एन0बी0सी0—2016 मानकों के अनुसार वाछिंत है।

5—प्रस्तावित सम्पूर्ण भवन परिसर में यार्ड हाईड्रेन्ट होज केबिनट एवं डिलीवरी होज तथा ब्रान्च पाइप एवं फायर सर्विस इन्लेट का प्राविधान आई0एस0—13039:1991 के अनुसार वाछिंत हैं।

6—हस्त चालित इलैक्ट्रिक फायर अलार्म **सिस्टम:**—मैनुअल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर अलार्म सिस्टम का प्राविधान एन0बी0सी0—2016 मानको के अनुसार वाछिंत है।

7—स्वः चालित डिडेक्शन एण्ड अलार्म सिस्टम:—प्रश्नगत भवन में आटोमेटिक डिडेक्शन एण्ड अलार्म सिस्टम एन0बी0सी0—2016 मानकों के अनुसार वाछिंत है।

8—स्वः चालित स्प्रिंकलर सिस्टम:—प्रश्नगत भवन के बेसमेन्ट एरिया में आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम एन0बी0सी0—2016 मानकों के अनुसार वाछिंत है।

9—टेरिस टैंक:—प्रस्तावित भवन के टेरिस पर एन0बी0सी0—2016 मानकों के अनुसार टेरिस टैंक—5,000 लीटर क्षमता का स्थापित कराया वाछिंत है।

10—टेरिस पम्प:—प्रस्तावित भवन में एन0बी0सी0—2016 मानकों के अनुसार वाछिंत नहीं है।

11—प्राथमिक अग्निशमन उपकरण(फायर एक्सटिंग्यूशर):—प्रस्तावित भवन में निर्माण के उपरान्त फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0—2190:1992 के अनुसार प्राविधान किया जाना है, जो मानकों के अनुरुप वाछिंत है।

12—स्मोक एक्सट्रेक्शन सिस्टम:—स्मोक एक्सट्रेक्शन सिस्टम

- ए0— फायर चेकडोर, स्मोक चेकडोर की लोकेशन व रेटिंग का 02 घन्टा व भूतल वेसमेन्ट पर वाछिंत है।
- बी0— सिस्टम की मैक अप एयर हेतु व्यवस्था की गई है—भूतल पर।
- सी0— सिस्टम रिजरवायर एवं अनुमानित स्मोक लेयर आदि को आधारित करते हुये एक्सट्रेक्शन सिस्टम का तकनीकी विश्लेषण एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वाछिंत है।

13—प्रेशराईजेशन प्रणाली:—एन0बी0सी0—2016 मानकों के अनुसार वाछिंत है।

14—एग्जिट साईनेज:—सम्पूर्ण भवन में एग्जिट साईनेज स्थापित किया जाना वाछिंत है।

15—पी0ए0सिस्टम:—पी0ए0सिस्टम की व्यवस्था सम्पूर्ण भवन में प्रस्तावित है।

16—कम्पार्टमेन्टेशन:—एन0बी0सी0—2016 मानकों के अनुसार वाछिंत है।

17—बेसमेन्ट का स्लेप जो सेटबैक में आ रहा है, को 45 टन भार वाहन क्षमता का निर्माण कराया जाय।

18—बेसमेन्ट में 12एअर चेन्जेज प्रतिघन्टा का स्मोक एग्झास्ट एक्प्यूमेन्ट लगाना आवश्यक होगा।

19—भूमि एवं भवन में यदि कोई परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना अग्निशमन विभाग को देना तथा अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना निर्माणदायी संस्था का उत्तरदायित्व होगा।

उत: उपरोक्तानुसार मैसर्स—श्री अरुण चन्द द्वारा प्लाट/अराज़ी नं0—4/1, 466/1/4, 466/1/5, 14/2, 13/2/2 रुस्तमपुर में ग्रुप हाउसिंग का मानचित्र संख्या—219/2013 जनपद—गोरखपुर में प्रस्तावित भवन के निर्माण हेतु प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण—पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि आवेदक द्वारा भवन/ईकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्रस्तावित प्राविधान भवन नियमावली तथा नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया—2016 में तत्समय प्रर्वतित नियमों/उपनियमों के अनुरुप उल्लिखित मानकों के अनुसार कराये जायेगें तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थायें मानकों के अनुसार भौतिक रुप से स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर अन्तिम अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण—पत्र प्राप्त किया जायेगा, अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण—पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा। यह निर्गत प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण—पत्र 03(तीन) वर्ष तक वैद्य माना जायेगा।

22/6

उपनिदेशक फायर सर्विस
परिक्षेत्र गोरखपुर
उपनिदेशक, फायर सर्विस
गोरखपुर, परिक्षत्र गोरखपुर।

प्रतिलिपि—

1— मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद—गोरखपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

2— अग्निशमन अधिकारी गोरखपुर को उनकी निरीक्षण आख्या दिनांक—21.06.2017 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

—::—